बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 138844 पटना, दिनांक 14-02-13

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(आवंटन)-102-24/2012

प्रेषक,

अजय कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

ई-मेल

उप विकास आयुक्त,
नवादा ।

विषय :- **इंदिरा आवास योजनान्तर्गत (अनुसूचित जनजाति के लिए) वर्ष 2012-13 में केन्द्रांश द्वितीय किस्त के रूप में विमुक्त राशि के विरूद्ध देय अनुपातिक राज्यांश के रूप में सहायक अनुदान की राशि ₹ 9.584 लाख (नौ लाख अंठावन हजार चार सौ रूपये) मात्र का वर्ष 2012-13 में आवंटन के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-112894 दिनांक-09.07.12

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के क्रम में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत (अनुसूचित जनजाति के लिए) भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रांश द्वितीय किस्त के रूप में विमुक्त राशि के विरूद्ध देय अनुपातिक राज्यांश के रूप में सहायक अनुदान की राशि **₹ 9.584 लाख (नौ लाख अंठावन हजार चार सौ रूपये)** का वर्ष 2012-13 में निम्न रूप से (कॉलम-6) आवंटित की जाती है :-

(रूपये लाख में)

क्रम	**जिला का नाम**	**वर्ष 2012-13 में केन्द्रांश द्वितीय किस्त का विमुक्ति आदेश संख्या/तिथि**	**वर्ष 2012-13 में केन्द्रांश द्वितीय किस्त में विमुक्त राशि**	**वर्ष 2012-13 में केन्द्रांश द्वितीय किस्त में विमुक्त राशि के विरूद्ध देय अनुपातिक राज्यांश के रूप में सहायक अनुदान की राशि**	**वर्ष 2012-13 में अनुपातिक राज्यांश के रूप में सहायक अनुदान की वर्तमान आवंटन की राशि**	**अभ्युक्ति**
1	2	3	4	5	6	7
1.	नवादा	J-12014/1/2012-RH(Accts)-8/B-Nawadah (2nd inst) dated-27.12.12	28.753	9.584	9.584	

2) राशि का आवंटन विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-112894 दि0-09.07.12 द्वारा स्वीकृत राशि से किया जाता है ।

3) आवंटित राशि मॉग संख्या-42 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2216-आवास-उप मुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण आवास-लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना-उप शीर्ष-0102-इंदिरा आवास योजना, विपत्र कोड-पी.2216037960102, राज्य योजना स्कीम कोड-RUR-5373, विषय शीर्ष-31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावे के अंतर्गत वर्ष 2012-13 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

4) आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त-सह-परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी ।

5) यह आवंटन वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561वि.(2) दिनांक-17.04.98 में निहित निदेशों एवं शर्त्तों का अनुपालन कर निर्गत किया जा रहा है ।

6) राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0-8593 दि0-17.11.07 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार की जायेगी ।

7) वित्त विभाग के पत्र संख्या-7355 वि.(टि.) दि0-05.10.07 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

8) उप विकास आयुक्तों से अनुरोध है कि आवंटित राशि की निकासी कर भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शनों के अधीन राशि का व्यय कर कोषागार प्रमाणक एवं तिथि सहित व्यय विवरणी महालेखाकार, बिहार, वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) को अविलम्ब उपलब्ध करावें ।

9) इसकी सूचना महालेखाकार (ले.हक.), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

14.2.13

(अजय कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 138844 पटना, दिनांक 14-02-13

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0हक0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14.2.13

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 138844 पटना, दिनांक 14-02-13

प्रतिलिपि- श्री बी0सी0बहेरा, उप सचिव (आर.एच.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001/प्रमंडलीय आयुक्त, मगध (गया)/जिला पदाधिकारी, नवादा/जिला कोषागार पदाधिकारी, नवादा/श्री सुनील कुमार, आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु)/प्रभारी सांख्यिकी सहायक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) एवं प्रशाखा-5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । इसकी एक प्रति प्रशाखा-5 की रक्षी पंजी में संधारित की जायेगी ।

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

14.2.13

सरकार के संयुक्त सचिव